पत्र सं0– स्थापना व्यय–आवंटन–01/2025–...42(7)9

झारखण्ड सरकार

<u>स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,</u>

<u>डोरण्डा, राँची–834002</u>

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

संबंधित अधीक्षक/उपाधीक्षक,
संबंधित मेडिकल कॉलेज अस्पताल/सदर अस्पताल/ईटकी आरोग्यशाला, इटकी/जिला जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, राँची/संक्रामक रोग अस्पताल, राँची।
सभी सिविल सर्जन, झारखण्ड।
(संलग्न विवरणी के अनुसार)।

राँची/दिनांकः 19/09/2025

विषयः वित्तीय वर्ष 2025–26 के व्यय हेतु स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा शिक्षा तथा लोक स्वास्थ्य 01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी 110–अस्पताल और औषधालय A3–मेडिकल अस्पताल एवं सदर अस्पताल हेतु ₹ 36,29,96,000/– (छत्तीस करोड़ उनतीस लाख छियानबे हजार) का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष 2210–चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत निम्नांकित विवरण में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन विवरणी में अंकित कार्यालय को व्यय हेतु Online आवंटन संसूचित किया जाता हैः–

कमांक	मांग संख्या/ मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/ उपशीर्ष	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या–20/2210–चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी	110–अस्पताल और औषधालय A3–मेडिकल अस्पताल एवं सदर अस्पताल	₹ 36,29,96,000/– (छत्तीस करोड़ उनतीस लाख छियानबे हजार)

2. आवंटित राशि की निकासी की प्रकिया एवं शर्तें वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561(वि) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक 1800 दिनांक 15.07.03 के अनुसार होगी।

3. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक/उपाधीक्षक/संबंधित सिविल सर्जन (संलग्न विवरणी के अनुसार) के लिये होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करेंगें। वे इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र पर अंकित करेंगें की विपत्र में निहित राशि की निकासी बजट उपबंध एवं आवंटित राशि के अधीन की जा रही है एवं राशि की निकासी के लिए वे स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं। प्रत्येक विपत्र के साथ आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जायेगी।

5. आवंटित राशि के मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष का मुहर तैयार कर विपत्र पर अंकित करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी प्रकार की भूल न हो सके।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा कि स्थापना व्यय, राज्य योजना एवं एन0आर0एच0एम0 से आवंटित राशि का लेखा संधारण अलग–अलग रखेंगे।

7. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय संबंधित इकाई में आवंटित राशि के अन्तर्गत है । अधिकाई व्यय होने पर इसकी पूरी जवाबदेही संबंधित निकासी एवं व्यय पदाधिकारी की होगी।

(शिवजी वर्मा)	(अनन्त कुमार)	(सीमा कुमारी उदयपुरी)	(अजय कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव	सरकार के उप सचिव	सरकार के संयुक्त सचिव	अपर मुख्य सचिव

कृ0 पृ0 उ0

8. आवंटित राशि का व्यय विवरणी अगले माह के सात तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

9. राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे राशि की निकासी करने के पूर्व संतुष्ट हो लेगें कि कर्तव्य से लंबी अवधि से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित एवं अवैध रूप से नियुक्त कर्मियों के वेतनादि की निकासी नहीं की जा रही है तथा जिस राशि की निकासी की जा रही है वह सही है एवं इसकी पूर्व में निकासी नहीं की गई है। किसी भी प्रकार के अवैध निकासी का उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा। बकाये वेतनादि के भुगतान में विशेष सर्तकता बरती जाय एवं कर्त्तव्य अवधि से संतुष्ट होकर ही बकाये का भुगतान किया जाय।

11. वित्त विभागीय पत्र संख्या– 69/बजट दिनांक 11.02.2013 के आलोक में विद्युत विपत्रों के भुगतान की कार्रवाई की जाय। परिवहन भत्ता की अनुमान्यता के संबंध में निर्गत वित विभाग के पत्र संख्या– 3558/वि0 दिनांक 19.12.2013 के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

12. क्रय संबंधी सभी कार्य वित्त विभागीय निदेशों के अनुरूप यथा नियम एवं प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाय।

13. सभी अधीक्षक/सिविल सर्जन/उपाधीक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मियों की संख्या के आलोक में कार्यरत कर्मियों की संख्या विवरणी के आंकड़ों की वित्त विभाग के COBT – Form 3A में की गई प्रविष्टि के आधार पर वित्त विभाग के द्वारा आवंटन उपलब्ध कराया गया है। उक्त के अनुरूप ही विभाग द्वारा आवंटन निर्गत किया जा रहा है। अतः COBT–Form 3A के प्रपत्र में अंकित कर्मियों के विवरणी के अनुरूप ही इस आवंटन का व्यय किया जाए।

यदि इस वित्तीय वर्ष में नई नियुक्ति की गई हो तो Form 3A में सूचना विभाग को सूचनाएँ उपलब्ध कराया जाए ताकि अनुपूरक बजट के माध्यम से नवनियुक्त कर्मियों के वेतनादि के लिए राशि की व्यवस्था की जा सके।

14. दवा क्रय हेतु निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय :–

I. वैसे दवा का क्रय किया जाएगा जिसका दर निर्धारण (Rate Contract) निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया गया है एवं दर निर्धारण की Validity Period समाप्त नहीं हुआ है।

II. वैसे दवा जिसका दर निर्धारण निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड की सूची में नहीं हो अथवा दर निर्धारण अवधि समाप्त हो चुका हो। ऐसे दवाओं का क्रय Priority Basis पर किया जाएगा जिसकी संबंधित केन्द्र पर अत्याधिक आवश्यकता हो।

III. EDL के अनुसार सभी स्तर के अस्पतालों/ केन्द्रों के लिए दवाओं का नाम चिह्नित है। अनावश्यक रूप से अधिक दवाओं का क्रय संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा अन्यथा इसके लिए वे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे। दवाओं के तिथिवाद होने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

IV. आवश्यक एवं मौसमी बीमारी की दवाओं को प्राथमिकता दी जाय। आवश्यकता आधारित अगले चार माह तक ही दवा की खरीद की जाय।

V. दवाओं के क्रय में साँप काटने तथा कुत्ता काटने के कारण दी जाने वाली दवा की उपलब्धता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

VI. क्रय किए गऐ दवाओं का Self Life कम से कम उसकी पूरी अवधि का 80 प्रतिशत होनी चाहिए।

VII. अस्पताल में उपलब्ध दवाओं की सूची जन साधारण के अवलोकनार्थ अस्पताल के सूचना पट्ट के निकट अथवा किसी अन्य उचित स्थान पर प्रदर्शित की जानी चाहिए।

42(7)व
19/09/2025

(शिवजी वर्मा)	(अनन्त कुमार)	(सीमा कुमारी उदयपुरी)	(अजय कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव	सरकार के उप सचिव	सरकार के संयुक्त सचिव	अपर मुख्य सचिव

कृ0 पृ0 उ0

VIII. सिविल सर्जन जिला के एक वरीय चिकित्सा पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित करेंगे जो जिले के सभी अस्पतालों में दवा की उपलब्धता का लगातार अनुश्रवण करेंगे एवं नियमित रूप से इसका प्रतिवेदन सिविल सर्जन को देंगे। सिविल सर्जन दवा की उपलब्धता को मासिक रूप से निदेशालय के उनके जिला के नोडल पदाधिकारी को सूचित करेंगे।

IX. सभी सिविल सर्जन दवाओं की उपलब्धता का आकलन करेंगे, जिन दवाओं की अगले तीन–चार माह में आवश्यकता हो, सिर्फ उन्ही दवाओं की मात्रा के अनुरूप निविदा निर्धारित प्रक्रिया के तहत क्रय कर सकेंगे। यदि दवा क्रय करने की आवश्यकता नहीं हो तो शीघ्र राशि प्रत्यर्पित करेंगे न कि मार्च 2026 में प्रत्यर्पण की कार्रवाई करेंगे।

15. इस राशि से दवा क्रय के उपरान्त व्यय विवरणी विभाग को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। आवंटित राशि की निकासी दवा क्रय करने हेतु E-Tender/ GeM के तहत सारी विहित प्रक्रियाएँ पूरी करने के पश्चात करना सुनिश्चित किया जाए।

16. स्वास्थ्य निदेशालय के पत्रांक 1644 (25) दिनांक 01.09.2017 के द्वारा निदेश है कि प्रेषित 60 दवाओं की सूची (Fast Moving Drugs) जिनकी उपलब्धता 25 प्रतिशत बफर स्टॉक के साथ अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों में बनाया रखना आवश्यक है, में से वैसी दवाएँ जो वर्तमान में रांची स्थित निगम के वेयर हाउस में उपलब्ध है तथा क्रय एवं आपूर्ति की प्रक्रिया में है, को छोड़कर शेष दवाओं के क्रय हेतु सभी जिलों को आवंटन निर्गत किया जा रहा है।

निगम के वेयर हाउस में उपलब्ध दवाओं में से यदि कोई दवा समाप्त हो जाये तो वैसी परिस्थिति में निगम की सहमति से उक्त दवा का क्रय जिलों/संस्थानों द्वारा प्राप्त आवंटन से किया जाए।

17. चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के दवाओं की आवश्यकता अन्य अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों से भिन्न है। अतः चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों द्वारा दवा क्रय से पूर्व जे0एम0एच0आई0डी0पी0सी0एल0 (निगम) से दवाओं के उपलब्धता की स्थिति तथा क्रय किये जाने वाले दवाओं पर सहमति प्राप्त कर ली जाय।

18. दवा क्रय के संबंध में विभागीय पत्रांक 04 (7) दिनांक 11.01.2019 के आलोक में स्पष्ट निदेश दिया गया है कि प्रबंध निदेशक, झारखण्ड मेडिकल एण्ड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट एण्ड प्रोक्योरमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नामकुम, रांची द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली/करायी जा रही दवाओं को छोड़कर अन्य दवाओं का क्रय वास्तविक आवश्यकता का आकलन करते हुए किया जाए ताकि दवाओं के क्रय में किसी भी प्रकार के दोहरीकरण की संभावना न हो। यदि सूची से कोई दवा खरीद करनी हैं, तो संबंधित अधीक्षक द्वारा इस विषय पर लिखित औचित्य/आवश्यकता/ आकस्मिकता को अंकित किया जाए।

19. विभागीय संकल्प संख्या 102 (6) दिनांक 09.02.2021 द्वारा राज्य के सभी वर्गों के अस्पतालों में निरंतर तथा नियमित रूप से दवाओं की उपलब्धता बनाये रखने हेतु झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम–235 को शिथिल करते हुए नियम–245 के तहत भारत सरकार के 05 औषधि निर्माता उपक्रमों से मनोनयन के आधार पर क्रय कर राज्य सरकार के विभिन्न अस्पतालों को आपूर्ति किए जाने के निमित उत्पादित 103 जेनरिक जीवन रक्षक दवाओं को क्रय किए जाने की स्वीकृति से संबंधित दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही उक्त के संबंध में विभागीय पत्रांक 149 (21) दिनांक 28.07.2022 में निहित निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

20. विभागीय पत्रांक – 20(7) दिनांक 15.04.2025 के आलोक में स्थापना व्यय बजट अन्तर्गत सभी अवर प्रमण्डलीय अस्पतालों के लिए आवंटित राशि को उनके प्रभारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उपआवंटित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

42(7)व
19/09/2025

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

कृ0 पृ0 उ0

ज्ञापांक– स्थापना व्यय–आवंटन–01/2025 42(7)9 /स्वा0,राँची,दिनांक–19/09/2025
प्रतिलिपिः– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक– स्थापना व्यय–आवंटन–01/2025 42(7)9 /स्वा0,राँची,दिनांक–19/09/2025
प्रतिलिपिः– संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची/संबंधित सिविल सर्जन/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक– स्थापना व्यय–आवंटन–01/2025 42(7)9 /स्वा0,राँची,दिनांक–19/09/2025
प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(शिवजी वर्मा)	(अनन्त कुमार)	(सीमा कुमारी उदयपुरी)	(अजय कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव	सरकार के उप सचिव	सरकार के संयुक्त सचिव	अपर मुख्य सचिव

कृ0 पृ0 उ0

पूर्व में निर्गत आवंटन की विवरणी

क्रमांक	प्राथमिक इकाई	पूर्व में आवंटित राशि	आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	वेतन	1285982000	112123000	1398105000
2	संविदा भत्ता	129226000	70598000	199824000
3	छुट्टी यात्रा व्यय	0	150000	150000
4	देशीय यात्रा व्यय	0	943300	943300
5	कार्यालय व्यय	21255000	4322500	25577500
6	किराया, दर, कर	9536000	11372000	20908000
7	कार्यालय उपकरण	25606000	4000000	29606000
8	आपूर्ति एवं सामग्री	190780000	9036000	199816000
9	दूरभाष	0	710000	710000
10	वर्दी	0	1287500	1287500
11	चिकित्सकीय आपूर्ति	333554000	82140000	415694000
12	विद्युत व्यय	0	49969000	49969000
13	रख–रखाव एवं मरम्मति	15650000	2000000	17650000
14	मोटर वाहन	0	1659700	1659700
15	जेनरेटर का ईंधन	5773000	1720000	7493000
16	मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति	5185000	1115000	6300000
17	छात्रवृत्ति/वजीफा	110052000	9850000	119902000
	कुल	**2132599000**	**362996000**	**2495595000**

आवंटन का सारांश

क्र0	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	कुल आवंटित राशि
1	वेतन	20S221001110A3000101	112123000
2	संविदा भत्ता	20S221001110A3000108	70598000
3	छुट्टी यात्रा व्यय	20S221001110A3000112	150000
4	देशीय यात्रा व्यय	20S221001110A3000213	943300
5	कार्यालय व्यय	20S221001110A3000315	4322500
6	किराया, दर, कर	20S221001110A3000316	11372000
7	कार्यालय उपकरण	20S221001110A3000317	4000000
8	आपूर्ति एवं सामग्री	20S221001110A3000323	9036000
9	दूरभाष	20S221001110A3000333	710000
10	वर्दी	20S221001110A3000334	1287500
11	चिकित्सकीय आपूर्ति	20S221001110A3000336	82140000
12	विद्युत व्यय	20S221001110A3000337	49969000
13	रख–रखाव एवं मरम्मति	20S221001110A3000339	2000000
14	मोटर वाहन	20S221001110A3000441	1659700
15	जेनरेटर का ईंधन	20S221001110A3000375	1720000
16	मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति	20S221001110A3000442	1115000
17	छात्रवृत्ति/वजीफा	20S221001110A3000650	9850000
कुल आवंटित राशि			**362996000**

कुलः ₹ 36,29,96,000/– (छत्तीस करोड़ उनतीस लाख छियानबे हजार)।

4217/9
19/09/2025

(शिवजी वर्मा)
सरकार के अवर सचिव

(अनन्त कुमार)
सरकार के उप सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)
सरकार के संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

कृ0 पृ0 उ0

जिलावार, मदवार आवंटित राशि की विवरणी

कमांक	प्राथमिक इकाई	वेतन	संविदा भत्ता	छुट्टी यात्रा रियायत	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	कार्यालय उपकरण	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	चिकित्सकीय आपूर्ति	विद्युत व्यय	रख–रखाव एवं मरम्मति	मोटर वाहन	जेनरेटर का ईंधन	मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति	छात्रवृति /वजीफा	कुल आवंटित राशि
1	एम0जी0एम0 मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जमशेदपुर	36193000	36933000	100000	100000	1578500	3000000	1500000	2096000	400000	600000	28000000	7500000	1500000	0	500000	135000	0	120135500
2	सदर अस्पताल बोकारो	0	1560000	0	188300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1748300
3	सदर अस्पताल धनबाद	12659000	2828000	0	0	171000	0	100000	112000	20000	100000	1610000	1500000	0	0	0	30000	0	19130000
4	सदर अस्पताल गढ़वा	0	960000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500000	0	0	0	0	0	2460000
5	सदर अस्पताल गोड्डा	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000
6	सदर अस्पताल गुमला	1500000	1500000	0	0	0	4632000	0	1280000	0	45000	7000000	2000000	0	0	50000	0	0	18007000
7	सदर अस्पताल जमशेदपुर	0	0	0	0	200000	0	900000	1600000	0	0	7000000	4000000	0	0	0	0	0	13700000
8	सदर अस्पताल लोहरदगा	0	480000	50000	0	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	570000
9	संक्रामक रोग अस्पताल,राँची	0	0	0	0	23000	0	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	53000
10	सदर अस्पताल राँची	30501000	0	0	0	500000	0	100000	80000	0	175000	14000000	20000000	0	0	200000	400000	0	65956000
11	जिला जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, राँची	0	0	0	25000	50000	0	0	60000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	140000
12	अवर प्रमण्डलीय अस्पताल गढ़वा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69000	0	0	0	0	0	69000
13	अवर प्रमण्डलीय अस्पताल जमशेदपुर	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	2000000	0	0	70000	0	0	3885000
14	अवर प्रमण्डलीय अस्पताल पलामू	0	0	0	150000	0	240000	0	0	0	37500	0	400000	0	0	150000	150000	0	1127500
15	इटकी सैनेटोरियम	0	0	0	100000	0	0	0	0	150000	135000	0	2000000	500000	0	0	0	0	2885000
16	दुमका मेडिकल अस्पताल	15600000	5624000	0	180000	800000	3500000	150000	608000	0	85000	10500000	1500000	0	800000	250000	0	4500000	44097000
17	हजारीबाग मेडिकल अस्पताल	13870000	20113000	0	200000	1000000	0	1250000	3200000	100000	90000	14000000	7500000	0	859700	500000	400000	5350000	68432700
	कुल राशि	**112123000**	**70598000**	**150000**	**943300**	**4322500**	**11372000**	**4000000**	**9036000**	**710000**	**1287500**	**82140000**	**49969000**	**2000000**	**1659700**	**1720000**	**1115000**	**9850000**	**362996000**

(शिवजी वर्मा)
सरकार के अवर सचिव

(अनन्त कुमार)
सरकार के उप सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)
सरकार के संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

42(7)9
19/09/2025

tablishment Expenditure/2025-26

वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित राशि की विवरणी :-

मॉंग सं० - 20 स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य शीर्ष-2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य & 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी & 110 - अस्पताल तथा औषधालय & A3 - मेडिकल अस्पताल एवं सदर अस्पताल

Sl No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	205221001110A3000101	205221001110A3000106	205221001110A3000112	205221001110A3000212	205221001110A3000115	205221001110A3000116	205221001110A3000317	205221001110A3000322	205221001110A3000123	205221001110A3000334	205221001110A3000316	205221001110A3000352	205221001110A3000129	205221001110A3000275	205221001110A3000441	205221001110A3000442	205221001110A3000606	Total
					वेतन	संविदा भत्ता	छुट्टी यात्रा रियायत	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	कार्यालय उपकरण	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	पट्टी	चिकित्सीय आपूर्ति	विद्युत व्यय	रख रखाव एवं मरम्मति	जेनेरेटर का ईंधन	मोटर वाहन	मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मति	छात्रवृत्ति : वजीफा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Jamshedpur	JSRMED040	Dr. Ramesh Kumar Mandhan	Supdt.M G M Hosp Jsr	₹3,61,93,000.00 (58452)	₹3,69,33,000.00 (58479)	₹1,00,000.00 (58676)	₹1,00,000.00 (58524)	₹15,78,500.00 (58543)	₹30,00,000.00 (58682)	₹15,00,000.00 (58705)	₹20,96,000.00 (58742)	₹4,00,000.00 (58602)	₹6,00,000.00 (58764)	₹2,80,00,000.00 (58632)	₹75,00,000.00 (58792)	₹15,00,000.00 (58657)	₹5,00,000.00 (58825)	₹0.00	₹1,35,000.00 (58837)	₹0.00	₹12,01,35,500.00
2	Dhanbad	DHNMED077	Sanjeev Kumar Prasad	Dy Supdt Sadar Hospi Dhanbad	₹1,26,59,000.00 (58455)	₹28,28,000.00 (58485)	₹0.00	₹0.00	₹1,71,000.00 (58546)	₹0.00	₹1,00,000.00 (58709)	₹1,12,000.00 (58747)	₹20,000.00 (58605)	₹1,00,000.00 (58767)	₹16,10,000.00 (58635)	₹15,00,000.00 (58795)	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹30,000.00 (58839)	₹0.00	₹1,91,30,000.00
3	Dumka	DMKMED246	Dr. Ajay Kumar Choudhary	Superintendent	₹1,56,00,000.00 (58467)	₹56,24,000.00 (58486)	₹0.00	₹1,80,000.00 (58537)	₹8,00,000.00 (58568)	₹35,00,000.00 (58702)	₹1,50,000.00 (58720)	₹6,08,000.00 (58756)	₹0.00	₹85,000.00 (58770)	₹1,05,00,000.00 (58648)	₹15,00,000.00 (58815)	₹0.00	₹2,50,000.00 (58834)	₹8,00,000.00 (58820)	₹0.00	₹45,00,000.00 (58665)	₹4,40,97,000.00
4	Gumla	GMLMED013	Dr. Anupam Kishore	Deputy Superintendent	₹15,00,000.00 (58470)	₹15,00,000.00 (58492)	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹46,32,000.00 (58696)	₹0.00	₹12,80,000.00 (58749)	₹0.00	₹45,000.00 (58772)	₹70,00,000.00 (58637)	₹20,00,000.00 (58799)	₹0.00	₹50,000.00 (58827)	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹1,80,07,000.00
5	Ranchi	RNCMED174	Bimlesh Singh	Dy Supdt Ranchi	₹3,05,01,000.00 (58473)	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹5,00,000.00 (58560)	₹0.00	₹1,00,000.00 (58714)	₹80,000.00 (58754)	₹0.00	₹1,75,000.00 (58776)	₹1,40,00,000.00 (58645)	₹2,00,00,000.00 (58804)	₹0.00	₹2,00,000.00 (58828)	₹0.00	₹4,00,000.00 (58840)	₹0.00	₹6,59,56,000.00
6	Jamshedpur	JSRMED031	Dr. Sahir Pall	C.S Cum Cmo Eastsinghbhum Jsr	₹18,00,000.00 (58476)	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹15,000.00 (58780)	₹0.00	₹20,00,000.00 (58808)	₹0.00	₹70,000.00 (58829)	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹38,85,000.00
7	Hazaribagh	HZBMED213	Dr. Anukaran Purty	Supdt. Hzb Med College Hosp Hb	₹1,38,70,000.00 (58478)	₹2,01,13,000.00 (58497)	₹0.00	₹2,00,000.00 (58538)	₹10,00,000.00 (58573)	₹0.00	₹12,50,000.00 (58729)	₹32,00,000.00 (58759)	₹1,00,000.00 (58621)	₹90,000.00 (58788)	₹1,40,00,000.00 (58652)	₹75,00,000.00 (58817)	₹0.00	₹5,00,000.00 (58835)	₹8,59,700.00 (58822)	₹4,00,000.00 (58844)	₹53,50,000.00 (58669)	₹6,84,32,700.00
8	Bokaro	BKRMED090	Nitendra Prasad Singh	Dy. Superintendent	₹0.00	₹15,60,000.00 (58483)	₹0.00	₹1,88,300.00 (58526)	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹17,48,300.00
9	Garhwa	GRHMED003	Maheru Vamani	Deputy Superintendent	₹0.00	₹9,60,000.00 (58488)	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹15,00,000.00 (58797)	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹24,60,000.00
10	Godda	GDDMED011	Tara Shankar Jha	Supd Sadar Hospital Godda	₹0.00	₹6,00,000.00 (58490)	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹6,00,000.00
11	Lohardaga	LDGMED002	Dr. Shankar Prasad	C.S Cum-Cmo Lohardaga	₹0.00	₹4,80,000.00 (58494)	₹50,000.00 (58679)	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹40,000.00 (58614)	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹5,70,000.00
12	Ranchi	RNCMED389	Prabhat Kumar	Civil Surgeon Ranchi	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹25,000.00 (58528)	₹50,000.00 (58564)	₹0.00	₹0.00	₹60,000.00 (58755)	₹0.00	₹5,000.00 (58778)	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹1,40,000.00
13	Palamu	PLMMED002	Anil Kumar Sriwastwa	C.S Palamau	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹1,50,000.00 (58531)	₹0.00	₹2,40,000.00 (58699)	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹37,500.00 (58783)	₹0.00	₹4,00,000.00 (58811)	₹0.00	₹1,50,000.00 (58831)	₹0.00	₹1,50,000.00 (58842)	₹0.00	₹11,27,500.00
14	Ranchi	RNCMED005	Prabhakar Kumar Bhagat	Supt Itki Centr.Itki Ranchi	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹1,00,000.00 (58534)	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹1,50,000.00 (58618)	₹1,35,000.00 (58786)	₹0.00	₹20,00,000.00 (58812)	₹5,00,000.00 (58659)	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹28,85,000.00
15	Jamshedpur	JSRMED343	Dr. Sahir Pall	C.S Cum Cmo. Eastsinghbhum Jsr	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹2,00,000.00 (58550)	₹0.00	₹9,00,000.00 (58711)	₹16,00,000.00 (58753)	₹0.00	₹0.00	₹70,00,000.00 (58640)	₹40,00,000.00 (58802)	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹1,37,00,000.00
16	Ranchi	RNCMED094	Sumitra Kumari	Supdt I D H Ranchi	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹23,000.00 (58556)	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹30,000.00 (58642)	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹53,000.00
17	Garhwa	GRHMED001	Dr. John Fitzgerald Kennedy	C.S Cum C M O Garhwa	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹69,000.00 (58806)	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹0.00	₹69,000.00

कुल आवंटित राशि :- ₹36,29,96,000.00 (छत्तीस करोड़ उन्तीस लाख छियानबे हजार) रूपये मात्र।

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

42(7)व
19/09/2025

ADDITIONAL CHIEF SECRETARY